

पंचनामा (OBC) पिछङ्गा - वर्ग

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/कु.

आत्मज/आत्मजा..... जाति..... आयु.....

निवास ग्राम..... ग्राम पंचा. प.ह.नं.

विकासखण्ड..... तहसील..... जिला..... के स्थाई

निवासी हैं। तथा इनके पूर्वज के व्यवसाय नाते रिश्तेदारी, भाषा, बोली, रीति-रिवाज उसके पूर्व से इसी पते पर निरन्तर निवासरत हैं व इस लिंगि को इस पते पर निवास करने वाले आवेदक के परिवार के मुखिया का नाम..... था। जिनका आवेदक के साथ..... संबंध है।

आवेदक के पूर्वजों का व्यवसाय नाते, रिश्तेदारी, भाषा-बोली, रीति-रिवाज को परम्पराओं के आधार पर इनकी जाति..... है। और इस पिछङ्गा वर्ग को संविधान के अनुच्छेद क्रं. एफ 8-5/पच्चीस/4/84 दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा क्रं. पर पिछङ्गा वर्ग के रूप में अधिमान्य किया गया है। के आधीन(....)राज्य के संबंध में पिछङ्गा-वर्ग के रूप में अधिमान्य किया गया है।

1- सरपंच के हस्ताक्षर.....

नाम.....

2- ग्राम पंचायत.....

3- उप सरपंच के हस्ताक्षर.....

4- पटैल के हस्ताक्षर.....

5- कोटवार के हस्ताक्षर.....